मुकदमा नंबर सन्..20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/10/18	पक्षकार ए० कौन उपस्थित। बहस T.I सुनी गई वकील प्रार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वज उगमा, चिमना पिसरान सोनु बहिस्से 1/2 व रामकरण देवकरण पिसरान हुकमा जाट बहिस्से 1/2 निवासीयान गैरुखेडा ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 12/5/1980 के द्वारा महन्त रामदास चेला गुरु श्री मोहनदास बेरागी साधु निवासी जालिया दोयम से विवादित भूमियो को खरीद कर कब्जा काश्त होने का कथन करते हुए निषेधाज्ञा की मांग की गई है। अप्रार्थी सख्या 2 ने कथन किया गया है उक्त विवादित भूमियां मन्दिर मूर्ति चार भुजा छोटी अस्ल एवं नारायण मकराम बक्साराम वगैरह के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है एवं महन्त रामदास चेला गुरु श्री मोहनदास को विवादित भूमियो को बेचान करने का कोई अधिकार ही नही था और मन्दिर मूर्ति की जमीनो को कानून हस्तांतरण भी नही किया जा सकता है जबकि इस विषय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपने विभिन्न निर्णयो मे कथन किया है कि पुजारीयों द्वारा मन्दिर मूर्ति की जमीनो को नही बेचा जा सकता है यदि बेचान भी कर दी है। जो वह बेचाननामा स्वत: अवैध है और खातेदारी कानूनन प्रदान नही की जा सकती है और प्रार्थीगण का विवादित भूमियो पर कोई कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही है इसलिए प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है उभयपक्षकारान को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज के हक मे जो रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 12/5/1980 को विवादित भूमियां बेचान	

की गई है उसके संबंध मे बेचान कर्ता उस समय विवादित भूमियो का खातेदार था या नही उस विषय मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया जाता है। तथा विवादित भूमि मंदिर मूर्ति चार भुजा एवं नारायण, मकराम बक्साराम पि० कजा वगैरह के नाम खातेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है। तथा प्रार्थीगण का विवादित भूमियो पर कब्जा

P.T.O

मुकदमा नंबर सन्..20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार	होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया जाता है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के विभिन्न निर्णयो मे यह प्रतिपादित किया गया है कि मन्दिर मूर्ति की जमीनो को उनके पुजारी द्वारा कानूनन बेचान नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के हक मे कोई प्रथम द्रष्टया केस व सहुलियत का सन्तुलन बनना नही पाया जाता है और अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना नही पाया जाता है. ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 R.T Act अप्रार्थीगण के विरुद्ध खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।	
	आदेश सुनाया गया।	
	(पर्वतसिंह चूण्डावत) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर [illegible] (अजमेर) राज.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.20 16:39:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: